तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/1318/2006/गंगानगर** **बीरबलराम बनाम पुरखाराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
ज्योति पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलाण्ट की ओर से।
प्रदीप बिश्नाई, अधिवक्ता अप्रार्थी/रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—12.11.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं0 09/2004 में पारित आदेश दिनांक 24—01—2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस अपील पर सुनी गयी।

3— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय इस आधार पर निरस्तनीय है कि अपीलाण्ट को किया गया स्माल पेच आवंटन, आवंटन अधिकारी द्वारा समुचित विधिवत् जांच की जाकर स्माल पेच के पडौसी काश्तकारों को नोटिस दिया जाकर एवं तहसीलदार कोलोनाईजेशन की रिपोर्ट तलब करते हुए आवंटन अपीलाण्ट को किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी समुचित आधार के रेस्पो0 की 23 वर्ष मियाद बाहर अपील को स्वीकार करने में महत्वपूर्ण विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इस विधिक बिन्दु की अनदेखा कर निर्णय जेर अपील पारित किया है कि बाद गुजरने मियाद विपक्षी पक्षकारों को बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो जाते है। जिन्हें सामान्य व सरसरी तौर पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों जो कि मियाद अधिनियम के सन्दर्भ में दिये गये उन्हें अनदेखा करते हुए निर्णय पारित करने में महत्वपूर्ण त्रुटि की है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पो0 की अपील 23 वर्ष विलम्ब से पेश करने के सम्बंध विलम्ब क्षमा हेतु समुचित कारण पेश नहीं किये जाने का निवेदन बहस के दौरान किया गया था। जिसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधानिक व मनमाने तौर पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित कर आवंटन निरस्त करने में महत्वपूर्ण विधिक त्रुटि की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के अनुसार न्यायालय के समक्ष अपील विलम्ब से पेश करने हेतु पक्षकार को समुचित व संतोषप्रदन कारण बताया आवश्यक है। न्यायालय को मियाद के बिन्दु को कठोरतापूर्वक लागू करते हुए अत्यधिक विलम्ब से पेश अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करना चाहिए। रेस्पो0 को अपीलाण्ट के पक्ष में हुए आवंटन की जानकारी पूर्व से ही रही है। अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 आपस में सगे भाई है एवं उन्हें उक्त आदेश की जानकारी पहले से ही थी परंतु अपील अन्दर अवधि शुमार करने के लिए असत्य कथन जानकारी का करते हुए अपील पेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/1318/2006/गंगानगर** **बीरबलराम बनाम पुरखाराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की गयी है जो इसी आधार पर निरस्तनीय थी। अपीलाण्ट को किया गया स्माल पेंच आवंटन दिनांक 25–11–81 को किया गया। जिसके लिए खातेदार सनद दिनांक 06–06–97 को किया जा चुका है। अपीलाण्ट को खातेदारी सनद प्राप्त होने के पश्चात् उसके पक्ष में किये गये आवंटन को अत्यधिक विलम्ब 23 वर्ष पश्चात निरस्त नहीं किया जा सकता था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी गंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–01–2006 निरस्त किया जाकर सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25–11–81 को यथावत रखे जाने के आदेश फरमाये जावे।

4– विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट का दौराने बहस विरोध करते हुए कथन किया कि प0नं 114/45 के कि0नं0 14, 19, 20 रकबा 3 बीघा भूमि आराजी राज थी। उक्त भूमि अपीलाण्ट बीरबल के नाम विधि विरूद्ध रूप से स्मॉल पेंच में आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध है, क्योंकि अपीलाण्ट सीमावर्ती काश्तकार नहीं था। सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं आवंटन अधिकारी ने रेस्पो0 को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 25–11–1981 को आवंटन कर दिया। उक्त भूमि पर आवंटन की दिनांक से ही रेस्पो0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर रेस्पो0 की ढाणी बनी हुई है और वह मौके पर रिहायश कर रहा है। सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं आवंटन अधिकारी ने आवंटित आराजी के चिपते काश्तकारों को बिना सुने व बिना सार्वजनिक सूचना जारी किये आवंटन आदेश जारी कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। अपीलाण्ट ने उक्त आवंटन गलत रूप से तथ्य छिपाकर करवाया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटित भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की भूमि से चिपती हुई भूमि है। उक्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलाण्ट द्वारा ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। रेस्पो0 को किसी प्रकार का नोटिस जारी किये बिना अपीलाण्ट के पक्ष में आवंटन आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं था। उपर्युक्त आधारों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 24–01–2006 के द्वारा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सहायक आयुक्त सूरतगढ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25–11–81 को निरस्त करते हुए प्रकरण सहायक उपनिवेशन आयुक्त को आवंटन नियमों की पालना करते हुए पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

5– हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। राजस्थान उपनिवेशन (1955 के स्थायी कृषि पट्टाधारकों को एवं अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 14 (1) के अधीन राजकीय कृषि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/1318/2006/गंगानगर** **बीरबलराम बनाम पुरखाराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पट्टों के स्थायी आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र–स्मॉल पेंच के तहत अपीलाण्ट बीरबल ने आवंटन अधिकारी के समक्ष दिनांक 28–04–1981 को चक 3 एसएमआर के मु0नं0 114/45 के कि0नं0 14, 19, 20 की 03 बीघा भूमि स्मॉल पेच में आवंटन हेतु पेश किया। सहायक उपनिवेशन आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 25–11–1981 के द्वारा अपीलाण्ट बीरबल पुत्र फरसाराम को निर्धारित दर का दोगुना राशि पर आवंटन करने के आदेश पारित किये। सहायक उपनिवेशन आयुक्त द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25–11–1981 से व्यथित होकर रेस्पो0 पुरखाराम व गणेशराम ने अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी गंगानगर के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की। रेस्पो0 ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी गंगानगर के समक्ष अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24–01–2006 में रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण सहायक उपनिवेशन आयुक्त सूरतगढ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25–11–1981 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी गंगानगर द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर आवंटी बीरबल द्वारा मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील पेश की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्ट को स्मॉल पेच में आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत स्मॉल पेच में आवंटन आदेश जारी किया गया था। **उक्त आवंटन के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23–अपील और पुनरीक्षण–(1) आवंटन प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर उपनिवेशन आयुक्त को अपील किये जाने का प्रावधान है।**

(2) उपनिवेशन आयुक्त के किसी (अंतिम आदेश) जो चाहे अपील में पारित किया गया हो या अन्यथा, से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर राजस्व मण्डल, राजस्थान को पुनरीक्षण फाईल किये जाने के प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गंगानगर के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गयी है जो अधीनस्थ न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। इसी प्रकार अपीलाण्ट ने मण्डल के समक्ष अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी गंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–01–2006 के विरूद्ध द्वितीय अपील पेश की है जो मण्डल के समक्ष पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6– उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी द्वितीय अपील पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/1318/2006/गंगानगर** **बीरबलराम बनाम पुरखाराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाती है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–01–2006 भी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किये जाने के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	